न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2025

ललन राय.....वादी

बनाम

राजेन्द्र बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.07.2025	वादी की ओर से पैरवी है। प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.06.2025 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन में कथन किया गया है कि स्थल निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, अधिवक्ता आयुक्त द्वारा स्थल की जाँच कर ली गई है लेकिन उनके द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत अपना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। यह कि प्रतिवादीगण सम्मन प्राप्ति एवं अधिवक्ता आयुक्त के जाँच के बाद काफी उग्र हो गये तथा वादग्रस्त भूमि का स्वरूप को बदलने के लिए प्रयास कर रहे है तथा वादी से मारपीट करने पर उतारू हो जा रहे है। स्थानीय पुलिस भी प्रतिवादीगण के मेल में आ गये है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई कर प्रतिवादीगण द्वारा कराये जा रहे नाजायज निर्माण कार्य को न्यायहित में रोकना आवश्यक है। आवेदन पर सुनवाई उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा अर्जी नालिश मद सं0–02 की भूमि खाता–274, खेसरा–332, रकबा–14 धुर के निस्वत स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा, दखल कब्जें की सम्पुष्टि, निषेधाज्ञा एवं अन्य अनुतोषों हेतु लाया है। प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से दिनांक 11.06.2025 को आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा एक अन्य आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दाखिल किया गया है। दिनांक 12.06.2025 को आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई पश्चात् अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर जाँच प्रतिवेदन हेतु उन्हें रिट दे दिया गया है। दिनांक 27.06.2025 को वादी द्वारा	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2025

ललन राय.....वादी

बनाम

राजेन्द्र बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.07.2025	दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन के कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु भी नोटिस निर्गत किया जा चुका है। चूँकि वादी वादग्रस्त भूमि से संबंधित खतियानधार के वारिसान के हैसियत से वाद दाखिल किया है तथा संबंधित खतियान की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि से संबंधित फोटोग्राफ्स भी दाखिल किया गया है, जिनसे प्रथम दृष्टया विदित होता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत है। वादग्रस्त भूमि का सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें। वादी की ओर से दिनांक 11.06.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 27.06.2025 को स्वीकार करते हुये निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थाना को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। आगामी दिनांक 10.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	